झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

पत्रांक :3/कृषि राज्य योजना–17/2008(खण्ड) 38 रांची / दिनांक : 15-10-09

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : वित्त (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) विभाग।

विषय : राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए **"मुख्य मंत्री किसान खुशहाली योजना" (इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना)** की **रू 1682.00लाख (सोलह करोड़ बेरासी लाख रूपये)** मात्र की लागत पर स्वीकृति।

महाषय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए **"मुख्य मंत्री किसान खुशहाली योजना" (इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना)** की रू **1682.00लाख (सोलह करोड़ बेरासी लाख रूपये)** मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान जाती है(व्यय विवरणी संलग्न) ।

2. योजना मद के मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय,उपशीर्ष–48–मुख्य मंत्री किसान खुशहाली योजना(इंटीग्रेटेड फार्मिंग), विस्तृतशीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 01P240100800480759 अंतर्गत रू 561.00लाख (रूपये पांच करोड़ इकसठ लाख रूपये) एवं मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उपशीर्ष–48–मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना(इंटीग्रेटेड फार्मिंग), विस्तृतशीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 01P240100789480759 अंतर्गत रू 307.00लाख (तीन करोड़ सात लाख रूपये) एवं मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–48–मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजन (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) विस्तृतशीर्ष–07–अन्य व्यय,59 अन्य व्यय– 01P240100796480759

अंतर्गत रू 814.00लाख (आठ करोड़ चौदह लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल **रू 1682.00लाख (सोलह करोड़ बेरासी लाख रूपये)** मात्र वर्ष 2009–10 में विकलनीय होगी।

3. मुख्यालय स्तर पर उपनिदेशक उद्यान, रांची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा जिलास्तर पर संबंधित जिला के उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उपकोषागर से की जाएगी।

4. योजना का कार्यान्वयन जिलावार/घटकवार प्रस्तावित व्यय विवरणी अनु0–1,2, एवं 3 के अनुसार की जाएगी।

क) प्रति कलस्टर लगभग रू 15.00लाख(पन्द्रह लाख रूपये) की होगी। इस राशि का खर्च मुख्य रूप से आंशिक/अधुरे/अनुपयोगी सिंचाई क्षमता यथा तालाब, चैक डेम, चैनेल, कुआं आदि एवं भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं को पुर्नस्थापित एवं पुनर्जीवित करने का होगा।

218 228

ख) रू 12.50लाख(बारह लाख पचास हजार रूपये) की राशि प्रति कलस्टर और दी जायेगी। यह चालू वित्तीय वर्ष में आगामी खरीफ/रब्बी/गरमा फसल के लिए कृषि उपादान आदि हेतु बैंकों (ग्रामीण बैंक/सहकारिता बैंक सहित) से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त अथवा नये किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर, उसमें मार्जिन राशि Subsidy/incentive के रूप में व्यय हेतु कृषक को दिया जायेगा। इस राशि से प्रति लाभुक परिवारों को औसतन लगभग 2500/-(दो हजार पांच सौ रूपये) की सहायता राशि इस वर्ष प्राप्त हो सकेंगी। इसका उपयोग कृषक खेती आदि हेतु करेगा।

ग) प्रत्येक कलस्टर स्तर पर एक बैंक खाता होगा जिसका संयुक्त रूप से संचालन संकुल किसान एवं कृषक मित्र द्वारा किया जायेगा। सभा द्वारा चयनित एक सर्वमान्य/सुयोग्य/सक्षम कृषक प्रतिनिधि **संकुल किसान** कहा जायेगा।

5. क) प्रत्येक जिले में दो नये कलस्टर का चयन उपायुक्त द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु किया गया है जो अनुलग्नक–4 पर है। कलस्टर चयन गुमला का विकास आयुक्त से अनुमोदन के उपरांत निर्गत होगा। कलस्टर में परिवर्त्तन सामान्यतः नहीं किया जायेगा जिला स्तरीय समिति की कारण सहित प्रतिवेदन पर विकास आयुक्त द्वारा परिवर्त्तन किया जा सकेगा।

ख) कलस्टर के चयन के उपरांत आच्छादित लाभुक परिवारों को समान अभिरूचि आधारित छोटे कृषक समूहों में बांटा जायेगा जो स्वयं सहायता समूह का रूप ले सके।

ग) इसमें 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

घ) उपर्युक्त कृषक परिवार समूहों को संगठित कर संकुल किसान सभा अपने समूह से 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के दो प्रतिबद्ध व्यक्तियों का चयन करेंगे जो कम से कम प्रवेशिका उर्तीण हो, वह दोनो **कृषि मित्र** कहे जाते है, उन पर कलस्टर स्तर पर योजना के कार्यान्वियन की विशेष जिम्मेवारी होगी।

ड़) कृषक मित्र आत्मा/जिला स्तरीय कार्यालय (संबंधित) लाभुक के बीच लिंक रहेंगे।

6. इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए जिला स्तर पर नोडल एजेन्सी आत्मा होगी। उन्हें इस कार्य के लिए अलग से धन राशि नहीं दी जायेगी। नोडल एजेन्सीयों की इस कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी रहेगी। उपलब्ध प्रशासनिक व्यय की राशि मार्गदर्शिका के सिद्धातों के अनुरूप व्यय होगी।

7. संबंधित आत्मा से एक "कार्यान्वियन इकाई" संलग्न किया जायेगा। प्रत्येक यूनिट में एक कनीय अभियंता, लेखा पदाधिकारी और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर होगा। इन पदों पर वर्ष 2008–09 में नियुक्ति किया जा चुका है, जिसके लिए वर्ष 09–10 में संविदा आधारित वेतन भुगतान हेतु राशि का प्रावधान 2009–10 के लिए किया गया है। संविदा शर्तो के अनुसार कार्यो की समीक्षा उपायुक्त द्वारा/गठित एक टीम से कराकर अवधि विस्तार किया जायेगा ताकि कार्य गुणवत्ता बनी रहें।

अयोग्य/अक्षम/अनुपयोगी को अवधि विस्तार देय नहीं होगा। वर्तमान में जहां रिक्तियाँ हैं, उसे सीमित प्रक्रिया के तहत तत्काल भर दिया जाए।

8. जिला स्तर पर अनुश्रवण के लिए और विशेषकर कलस्टर के स्तर पर जो कार्य योजना तैयार की जायेगी उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु एक जिला स्तरीय समिति गठित है जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला के उपायुक्त करेंगे और उपायुक्त की अनुपस्थिति में उपविकास आयुक्त यह कार्य करेंगे। उक्त समिति के अन्य सदस्य जिला स्तरीय कृषि विभाग/पशुपालन/गव्य विकास/मत्स्य विकास/भूमि संरक्षण/लघु सिंचाई/सहकारिता/वन विभाग/जिला उद्यान पदाधिकारी /नाबार्ड/एल0डी0एम0/प्रबंधक निदेशक, डी0आर0डी0ए0 होंगे जो प्रसाशनिक स्तर पर निर्णय लेनें की अंतिम इकाई होगी। आत्मा जिला स्तरीय समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। जिला कृषि विज्ञान केन्द्र तकनीकी सुझाव देंगे।

9. कलस्टर/जिला स्तर पर यह पूरा कार्य मिशन मोड में कराया जाना है और जिला स्तरीय समिति टास्क फोर्स के द्वारा प्रत्येक पक्ष में एक बार बैठक की जायेगी और माह में कम–से–कम एक बैठक होगी। उक्त बैठकें संबंधित जिला के जिला प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा उपायुक्त/उपविकास आयुक्त की सहमति से आयोजित की जायेगी और तत्संबंधी कार्यवाही संधारित की जाएगी।

10. क) इस योजना की मूलभूत अवधारणा यह है कि इसमें उपलब्ध धन राशि Resource Gap के रूप में होगी और राज्य में चल रहे सभी विकास/कल्याणकारी योजनाएँ यथा नरेगा, आ0के0भी0वाई./NHM/watershed macro management/micro irrigation/animal/catle induction/मत्स्य पालन/पशुधन विकास इत्यादि से Convergence कराकर उसका पूरा लाभ मुहैया कराया जायेगा।

ख) नरेगा के तहत निजी भूखण्ड पर सिंचाई श्रोत तथा community water source विकसित करना हैं। इसको कार्य योजना में शामिल कर पूर्ण उपयोग करें। ऐसा नहीं होने पर उपायुक्त दोषी होंगे।

ग) Macro Mangaement watershed/RKVY-Irrigation/training/कृषि उपकरण/Soil condition improvemnt/Vermi compost स्था0 आदि/NHM-सब्जी, फूल/फूल उत्पादन/plantation/Extension reform/training/expousure/ राज्य मद से HYV/Hybrid बीज/फल–सब्जी खेती/बीज ग्राम स्था0 एवं अन्य केन्द्रीय योजनाओं के तहत Linkage mandatory होगा। यह linkage नही होने पर जिला भूमि संरक्षण/जिला उद्यान पदाधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक आत्मा दोषी होंगे।

घ) मत्स्य पालन/Milch cattle induction/Heifer rearing/AI-BAIF/AHD पशु स्वास्थ्य कैम्प/Goatry/Piggeries की योजना का स्पदांहम होगा। यह कार्य नही होने पर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी दोषी होंगे।

ङ) SGSY अन्तर्गत/KCC अन्तर्गत 100 प्रतिशत आच्छादन सुयोग्य कृषक/कृषक परिवार का कराना उपायुक्त का दायित्व DLCC/बैंको से/DRDA के समन्वय से होगा।

च) अन्य विभाग यथा–कल्याण/शिक्षा/स्वास्थय की योजनाओं को भी प्रभावी बनाना जनहित में होगा एवं संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं उपायुक्त का दायित्व होगा।

उक्त हेतु विभाग के अन्तर्गत संचालित एवं जिले में उपलब्ध राशि से व्यय किया जायेगा।

11. राज्य स्तर पर अनुश्रवण के लिए विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित है जिसमें सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग/पशुपालन/सहकारिता/ग्रामीण विकास/जल संसाधन/सांस्थिक वित्त/बिरसा कृषि विश्वविद्यालय/निदेशक कृषि/गव्य, मत्स्य/राज्य हार्टिकल्चर मिशन/नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक/एस0एल0बी0सी0 के कंभेनर अन्य सदस्य होंगे। विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

12. जिला स्तरीय संचालन समिति महीने में एक बार योजना के कार्यान्वियन के प्रगति और अनुश्रवण हेतु बैठक आयोजित करेगी। उक्त समिति को संबंधित आत्मा प्रत्येक माह में प्रतिवेदन देंगे जिसमें प्रगति और उत्पन्न समस्यां की जानकारी देगे एवं सामाधान सुनिश्चिंत किया जायेगा।

13. राज्यस्तरीय समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए योजना एवं विकास विभाग में एक सेल गठित है जिसमें एक अनुभव प्राप्त वर्ग–I के पूर्णकालिक पदाधिकारी/प्रोजेक्ट निदेशक "मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजन" में प्रतिनियुक्त के आधार पर कार्यरत है और वे पूरी योजना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है। उक्त पदाधिकारी को परियोजना से अनुमान्य वेतन/भत्ता इत्यादि दिया जायेगा बजट प्रावधान 2009–10 के लिए किया गया है। यह मार्गदर्शिका के अनुरूप होगा।

14. पूरी योजना एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वित की जायेगी और इसमें सभी पूर्णकालिक कर्मियों को उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

15. योजना के कार्यान्वयन के कई तरह की "Entry Level Activity" प्रस्तावित है जैसे–Base Line Survey/Corropping Plan सूत्रीकरण/मिट्टी जांच/बैठकों का आयोजन/Input Plan का सूत्रीकरण/पशुधन उपलब्ध कराने की योजना इत्यादि। इस हेतु प्रत्येक जिले को किसानों को उत्प्रेरण संबंधी कार्य, संकुल स्तर पर परिचर्या, क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए गतिविधि का प्रावधान किया गया है, जिस पर होने वाले व्यय जिला स्तर से किया जायेगा।

16. तृतीय पक्षीया concurrent मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन (पूर्व वर्षों सहित) हेतु योजना में वर्ष 2009–10 के लिए राज्यस्तर पर रू 24.00लाख(चौबीस लाख रूपये) का प्रावधान है। इसका चयन विकास आयुक्त की अध्यक्षता की कमेटी द्वारा किया जायेगा।

17. योजना प्रस्ताव की स्वीकृति पर महामहिम राज्यपाल के सलाहकार अनुमोदन प्राप्त है।

18. योजना प्रस्ताव में योजना एवं विकास विभाग की सहमति प्राप्त है।

19. योजना प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

20. योजना की परामर्शी पर्षद की स्वीकृति दि0–07.10.09 की बैठक मद सं0–08 के रूप में विभागीय संलेख–5881, दि0–06.10.09 के क्रम में प्राप्त है।

215
225

21. योजना प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सर्शत प्राप्त है कि योजना का कार्यान्चियन स्थापित प्रक्रिया/विहित प्रावधान के अनुरूप ससमय पूर्ण करे एवं वित्तीय नियमों का अक्षरशः पालन करे।

22. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दि0–17.04.98 एवं कोषागार संहिता भाग–I के नियम 300 का सख्ती से पालन किया जाय।

23. वित्त विभाग के पत्रांक 627 दिनांक 12.2.02 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नही है।

अनु0–यथोक्त। विश्वासभाजन,

Ap 15/10/09
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–38 रांची, दिनांक 15-10-09

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित सभी उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड, रांची/अग्रणी जिला प्रबंधक/सभी प्रबन्ध निदेषक, डी0आर0डी0ए0, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 15/10/09
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–38 रांची, दिनांक 15-10-09

प्रतिलिपि–जिला कोषागार पदाधिकारी, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 15/10/09
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–38 रांची, दिनांक 15-10-09

प्रतिलिपिः विशेष सचिव/उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव(योजना), कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/निदेशक समेति, झारखण्ड, रांची/निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/उप निदेशक, उद्यान, रांची/सभी परियोजना निदेशक"आत्मा", झारखण्ड/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/संयोजक एस0एल0बी0सी0 (इलाहबाद बैंक), रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 15/10/09
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–38 रांची, दिनांक 15-10-09

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकरी/महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखण्ड, रांची के सचिव/योजना शाखा–3 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड रांची(10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

Ap 15/10/09
सरकार के सचिव

//

मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना

कार्य योजना

वर्ष 2009-10

अनुलग्नक :-1

राज्य स्तरीय कार्ययोजना

(रु लाख में)

क्र0	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी0एस0पी0	ओ0एस0पी0	एस0सी0एस0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. A	प्रशासनिक व्यय योजना राज्यस्तरीय	2009-10						
1.	अनुसंधान प्रसार कर्मशाला प्रसार कर्मी एवं कृषि मित्र प्रत्येक संकुल (3-2) कुल 5 का 2 दिवसीय साल में दो बार। (कुल प्रति प्रशिक्षार्थी 2500/- की दर से)	राज्यस्तर	2500/ प्रति जिला	120	3.00			
2.	अर्न्तविभागीय पदा0 एवं कृषि मित्रों का वार्षिक परिचर्चा एवं सम्मेलन (वार्षिक) कुल 120 संख्या 5 दिवसीय (कुल प्रति प्रशिक्षार्थी 500/- की दर से)	-	500/ प्रति जिला	120	0.60			
3.	प्रशिक्षण राज्य स्तरीय समेति/बी0ए0यू0/हार्प में कृषि मित्रों/स्वयं सेवी संस्थान/तथा अन्य संबंधित सदस्यों के लिए प्रति जिला 5 (पांच दिवसीय) (कुल प्रति प्रशिक्षार्थी 5000/- की दर से)	-	5000/ प्रति जिला	120	6.00			
4.	राज्य स्तर किसान मेला/प्रदर्शनी (फसल/सब्जी, फल, फुल सहित) एवं परिचर्चा-2 दिवसीय	राज्यस्तर	5.00	1	5.00			
5.	अनुसंधान एवं विकास (बी0ए0यू0/हार्प/के)		2.00	1	2.00			
6.	तृतीय पक्ष द्वारा मु0मं0कि0यो0 का मूल्यांकन एवं समीक्षा		1.00	24	24.00			
	कुल राज्यस्तरीय कार्यक्रम				40.60			

ॳ-

(224)

3

क्र0	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी0एस0पी0	ओ0एस0पी0	एस0सी0एस0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	प्रशासनिक (स्थापना)							
	1. Recuring							
	1. परियोजना निदेशक का वेतन 60000/प्रति माह	12 माह	0.60	1	7.20			
	2. जिला/प्रखण्ड/संकुल भ्रमण 4000/प्रति माह		0.04	24 जिला	0.96			
	3. यात्रा भत्ता प्रति माह (पूरे वर्ष के लिए अनुमानतः)	12 माह		–	0.912			
	4. लेखापाल/पदा0 वेतन 7500/–प्रति माह	12 माह	0.075	12 माह	0.90			
	5. आशुलेखक सह कम्प्यूटर चालक–6000/– प्रति माह	12 माह	0.06	12 माह	0.72			
	6. कोषांग हेतु एक चतुर्थ वर्ग संविदा पर 3500/– प्रति माह	12 माह	0.035	12 माह	0.42			
	Non- Recuring							
	1. मुख्यालय स्तर पर आकस्मिक खर्च	अनुमानित	2.00	–	2.0			
	2. प्रकाशन/मूल्यांकन/वाह्य भ्रमण	अनुमानित	2.50	–	2.50			
	3. राज्य स्तर पर कर्मशाला एवं बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही स्तर पर	4(त्रैमासिक)	1.00	–	4.00			
	4. उपस्कर कोषांग हेतु एवं रख रखाव मुख्यालय में	अनुमानित	1.00	–	1.00			
	5. पारितोषिक एवं पुरस्कार के0भी0के0 तथा आत्मा संयोजक	अनुमानित	2.50	–	2.50			
	प्रशिक्षण							
	1. कम्प्यूटर चालक/ लेखापाल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 200/ रू प्रति दिन (प्रति प्रशिक्षार्थी 1200/–)		1200/ प्रति	24	0.288			
	2. कृषि मित्रों अभिलेख तथा लेखा संधारण हेतु प्रशिक्षण 5 दिवसीय ()		1000/ प्रति	48+48	4.80			
	कुल योग				28.20			
	सर्व योग राज्य स्तर पर				68.80	68.80		

15/10/09

सरकार के सचिव

(२२५)

मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना

कार्य योजना

वर्ष 2009–10

अनुलग्नक :–2 (क)

जिला स्तरीय कार्यान्वयन ईकाई के लिए :–

(रु लाख में)

क्र0	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी0एस0पी0	ओ0एस0पी0	एस0सी0एस0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	जिलास्तर पर जिला कार्यान्वयन ईकाई							
	I. रिकरिंग							
	1. कनीय अभियंता 5500/–प्रति माह	12 माह	0.66	24	15.82			
	2. लेखापाल–7500/– प्रति माह	12 माह	0.90	24	21.60			
	3. कम्प्यूटर चालक 5500/– प्रति माह	12 माह	0.66	24	15.84			
	4. यात्रा भत्ता (के0भी0के0/आत्मा संयोजक तथा अन्य) के लिए अनुमानित रु 500/– गृह भ्रमण कम से कम तीन भ्रमण	144 भ्रमण	0.72	24	17.28			
II	Non-Recuring							
	1. लेखन सामग्री 2000/रु प्रति	12 माह	0.24	24	5.76			
	2. लेखापाल का प्रशिक्षण व्यय	12 माह	0.30	24	7.20			
	3. जिलास्तरीय बैठक मासिक 1000/–प्रति बैठक	12 माह	0.12	24	2.88			
	4. मोटर वाहन व्यय किराये पर 500/–प्रति भ्रमण अधिकतम 3500/–रू0 मासिक	12 माह	0.42	24	10.80			
	5. लेखन प्रकाशन एवं मुद्रण किसानों के लिए।	12 माह	0.50	24	12.00			
	कुल				109.18	53.80	42.26	13.10
	प्रति जिला निर्धारित आवंटन				4.55	2.24	1.76	0.55

सरकार के सचिव

मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना

कार्य योजना

वर्ष 2009-10

अनुलग्नक :-2 (ख)

संकुल वर्ष 2008-09 के लिए

जिला स्तरीय कार्यान्वयन ईकाई के लिए :-

(रू० लाख में)

क्र०	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी०एस०पी०	ओ०एस०पी०	एस०सी०एस०पी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	संकुल स्तर							
	1. कृषि मित्रों का मानदेय वर्ष 08-09 (3500/-) के लिए 2 संकुल प्रति प्रखण्ड	12 माह	0.42	48	20.16			
	2. स्थल भ्रमण प्रति माह-20 प्रति भ्रमण 50/- दर से (कुल 320) @.0005 रू० की दर से	320	0.16	48	7.68			
	3. लेखन सामग्री 500/-प्रति माह की दर से	12 माह	0.06	48	2.88			
	4. संकुल स्तर प्रति ग्रामीण का बैठक माह में दो बार 500/- बैठक	32	0.16	48	7.68			
	संकुल स्तर योग				38.40	18.925	14.875	4.60
	प्रति जिला निर्धारित आवंटन				1.60	0.79	0.62	0.19

सरकार के सचिव

मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना

कार्य योजना

वर्ष 2009-10

अनुलग्नक :-2 (ग)

संकुल वर्ष 2009-10 के लिए

जिला स्तरीय कार्यान्वयन ईकाई के लिए

(रु लाख में)

क्र0	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी0एस0पी0	ओ0एस0पी0	एस0सी0एस0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	संकुल स्तर							
	1. कृषि मित्रों का मानदेय वर्ष-09-10 के लिए 2 संकुल -4 कृषि मित्र (3500/-) प्रति प्रखण्ड	12 माह	0.42	48	20.16			
	2. स्थल भ्रमण प्रति माह-20 प्रति भ्रमण 50/-दर से	320	0.16	48	7.68			
	3. लेखन सामग्री 500/-प्रति माह की दर से	12 माह	0.06	48	2.88			
	4. संकुल स्तर प्रति ग्रामीण का बैठक माह में दो बार 500/- बैठक	32	0.16	48	7.68			
	संकुल स्तर योग				38.40	18.925	14.875	4.60
	प्रति जिला निर्धारित आवंटन				1.60	0.79	0.62	0.19

सारांश :-

	संकुल स्तर वर्ष 2008-09				38.40	18.925	14.875	4.60
	संकुल स्तर वर्ष 2009-10				38.40	18.925	14.875	4.60
	संकुल स्तर का कुल व्यय				76.80	37.85	29.75	9.20
	जिला स्तर				109.16	53.80	42.26	13.10
	राज्य स्तर				68.80	68.80		
	कुल प्रशासनिक व्यय				254.76	160.45	72.01	22.30

15/10/09

सरकार के सचिव

//

मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना

कार्य योजना

वर्ष 2009-10

अनुलग्नक :-3 (क)

संकुल वर्ष 2008-09 के लिए

जिला स्तरीय कार्यान्वयन ईकाई के लिए

(रू लाख में)

क्र0	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी0एस0पी0	ओ0एस0पी0	एस0सी0एस0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	योजना व्यय (राज्यस्तरीय)							
A	किसानों के लिए उत्प्रेरण संबंधि कार्यक्रम प्रथम संरक्षण एवं प्रवेश बिन्दु							
	I. आत्मा द्वारा तैयार SREP पर संकुल स्तर परिचर्चा एवं विवेचना	पूर्ण वर्ष	-	-	-			
	II. क्षमता विकास कार्यक्रम		-	-	-			
	1. एक दिवसीय संगम हेतु संकुल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रति माह एक (कम से कम 100व्यक्तियों के लिए 100प्रति व्यक्ति)	12 माह	-	-	-			
	2. प्रत्येक संकुल राज्य स्तरीय परिभ्रमण बी0ए0यू0/कार्प/के0 भा0अ0 के0, इत्यादि तथा सफल कार्य स्थल के लिए प्रति संकुल 5 किसान प्रति दिन 500/-प्रति दिन की दर से	सालाना	-	-	-			
	3. अन्तर्राज्यीय परिभ्रमण प्रति संकुल 2 किसान 1000/-प्रति दिन प्रति किसान 10 दिन के लिए	सालाना	1000/ प्रति संकुल	48	4.80			
	4. प्रति संकुल 10 किसानों का जिलास्तर आत्मा/के0वी0के0 द्वारा प्रशिक्षण 100/-प्रति दिन 3 दिनों का एक समय 30 किसानों के लिए (सीड मनी)	सालाना	-	48	4.90			
	5. जिलेस्तर रुचि आधारित नव समूह किसान निर्माण संकुल सभा द्वारा प्रति संकुल दो समूह के लिए	सालाना	-	-	-			
	6. जिला स्तर पर किसान मेला/कृषक प्रदर्शनी का आयोजन प्रति जिला 1.00(एक लाख रू0)	सालाना	-	-	-			
	योजना व्यय (राज्य स्तरीय)				9.70			

A/ 15/10/09

सरकार के सचिव

मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना

कार्य योजना

वर्ष 2009-10

अनुलग्नक :-3 (ख)

जिला स्तरीय कार्यान्वयन ईकाई के लिए

संकुल वर्ष 2009-10 के लिए

(रु० लाख में)

क्र०	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी०एस०पी०	ओ०एस०पी०	एस०सी०एस०पी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	योजना व्यय (राज्यस्तरीय)							
A	किसानों के लिए उत्प्रेरण संबंधी कार्यक्रम प्रथम संरक्षण एवं प्रवेश बिन्दु							
	I. आत्मा द्वारा तैयार SREP पर संकुल स्तर परिचर्चा एवं विवेचना	पूर्ण वर्ष	0.05	48	2.40			
	II. क्षमता विकास कार्यक्रम							
	1. एक दिवसीय संगठन हेतु संकुल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रति माह एक (कम से कम 100व्यक्तियों के लिए 100प्रति व्यक्ति)	12 माह	0.20	48	9.60			
	2. प्रत्येक संकुल राज्य स्तरीय परिभ्रमण बी०ए०यू०/हार्प/के० भा०अ० के०, हलाटीकल्चर तथा सफल कार्य स्थल के लिए प्रति संकुल 5 किसान प्रति दिन 500/-प्रति दिन की दर से	सालाना	0.05	48	2.40			
	3. अर्न्तराज्यीय परिभ्रमण प्रति संकुल 2 किसान 1000/-प्रति दिन प्रति किसान 10 दिन के लिए	सालाना	0.20	48	4.80			
	4. प्रति संकुल 10 किसानों का जिलास्तर आत्मा/के०वी०के० द्वारा प्रशिक्षण 100/-प्रति दिन 3 दिनों का एक समय 30 किसानों के लिए (तीन सभी)	सालाना	0.10/संकुल	48	4.90			
	5. रिभल्विंग राशि जरूरत मद समूह निवास निर्धारण संकुल सभा द्वारा प्रति संकुल दो समूह के लिए	सालाना	0.20	48	9.60			
	6. जिला स्तर पर किसान मेला/कृषक प्रदर्शनी का आयोजन प्रति जिला 1.00(एक लाख रु)	सालाना	1.00	24	24.00			

	कार्य अवयव	वर्ष	दर प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	टी0एस0पी0	ओ0एस0पी0	एस0सी0एस0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	किसानों के तकनीकी मान्यता/Refinement हेतु कार्यक्रम	मौसमी						
	1. KVK द्वारा कृषक वैज्ञानिक-अन्तर्मिलन कार्यक्रम वर्ष में 2 बार प्रति संकुल 10 व्यक्ति 100/प्रति	सालाना	0.20	24	4.80			
	2. क्षेत्र दिवस का आयोजन प्रति संकुल एक के0भी0के0 के सहयोग से।		0.50	24	12.00			
	3. किसानों के लिए के0भी0के0 वैज्ञानिकों द्वारा 0.40हे0 पर सहभागिता आधारित/फसल/फल/पशुधन आधारित प्रत्यक्षण कृषि-2500/-प्रत्यक्षण सब्जी-3500/- पशुधन-5000/- मत्स्यपालन-4000/-	5 5 2 2	0.125 0.175 0.10 0.08	48	23.04			
L	भोजन व्यय ([illegible])	14/संकुल	0.480	-	97.54			
			0.480	-	107.24	55.00	38.14	14.10
I	आधारभूत संरचना 1. सिंचाई पुर्नस्थापना क. सिंचाई नाली/ सिंचाई पाईप ख. मरम्मति/संरचना जीर्णोद्धार एवं डिसिल्टेशन कार्य ग. सामूहिक कुआं पम्पसेट सहित घ. ईंटेक कुआँ ङ. सूक्ष्म उद्वह							
			11.00	48	528.00	260.00	162.40	105.60
	2. अन्य संरचना क. मिट्टी जांच कीट ख. सामूहिक कृषि उपकरण ग. सामूहिक वर्मीकम्पोस्ट इकाई घ. भंडार गृह का निर्माण ङ. चारा विकास कार्यक्रम							
		-	4.00	48	192.00	95.00	74.00	23.00
	मार्जिन मनी टर्म लोन के द्वारा भूमिहीनों को पशुपालन हेतु सहायता/कृषि कार्य हेतु सहायता।	-	12.50	48	600.00	300.00	158.00	142.00
	कुल योजना व्यय	-	-	-	1427.24	653.55	488.99	284.70
	कुल प्रशासनिक व्यय	-	-	-	254.76	160.45	72.01	22.30
	कुल परियोजना व्यय	-	-	-	1682.00	814.00	561.00	307.00

15/10/09

सरकार के सचिव

217

अनुलग्नक :-4

"मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना"

वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित संकुल

क्रम सं0	जिला	प्रखण्ड	संकुल	गाँव
1.	जमशेदपुर	1. जमशेदपुर	1. भिलाई पहाड़ी	भिलाई पहाड़ी, गोरगोरा, तुरीयाबेरा, पोखरी
		2. बहरागोड़ा	2. बंकाटा	बंकाटा, बेंदा
2.	रांची	1. बेड़ो	1. गढ़गाँव	गढ़गाँव
		2. माण्डर	2. करगे	करगे
3.	हजारीबाग	1. बरही	1. दौरवा	दौरवा, कुण्डवा, पंचमील खोडाहार
		2. चौपारण	2. भटबिगहा	भटबिगहा, सिरमा, सेलहरा कला, टोईया
4.	लातेहार	1. चन्दवा	1. नगर बसार	
		2. बालूमाथ	2. चितरपुर	चितरपुर, घाघु, बालूमाथ
5.	सरायकेला	1. गम्हरिया	1. बुरूडीह	बुरूडीह, संथालडीह, श्रीधरपुर, सलेमपायर, बरमारी, रैमारा, चंपानगर
		2. खरसॉवा	2. प्रधानडीह	प्रधानडीह, खिजुरिया, कैसारी, दीपसाइ, नवाडीह, धतकीडीह, बीरगोड़ा, सिनुडीह
6.	रामगढ़	1. पतरातू	1. हफुआ	हफुआ, कुरबीज, बटुका, ईचापीरी, ओसाम
		2. माण्डू	2. बड़गाँव	बड़गाँव,
7.	चाईबासा	1. सोनुआ	1. निश्चितपुर	निश्चितपुर, बलजीरा, राज गाँव
		2. मनोहरपुर	2. रायकेरा	रायकेरा, गोविन्दपुर, माहुलडीहा
8.	जामताड़ा	1. जामताड़ा	1. मेझिया	मोजराडीह, मेंझिया, बाजरा गोड़ा
		2. नाला	2. चक नयापाड़ा	जीवनपुर, मोहनपुर, जावाडीह, फतेहपुर, वैरागडीह, बाबूपुर
9.	गोड्डा	1. पथरगामा	1. चिलरा	
		2. पोड़ैयाहाट	2. पिंडरा	
10.	पाकुड़	1. लिट्टीपाड़ा	1. हाथीगढ़	सिमलकुन्डी, बिंझा, डोहड़ी पहाड़, डोहड़ी संथाली
		2. पकुड़िया	2. फुलोपानी	फुलोपानी, डन्गा, तिरीलडीह, बाबूझूरी, नरमसिया
11.	चतरा	1. सिमरिया	1. ऐदला	ऐदला
		2. ईटखोरी	2. कुम्हारी	कुम्हारी, बन्धु, हररिया, राजा केन्दुआ, पाण्डेखाप, पचमों
12.	बोकारो	1. चन्दनकियारी	1. लंका	फुसरो, लंका
		2. कसमार	2. बगदा	बगदा, मुंगो

13.	गढ़वा	1. छंडई	1. जरही	
		2. डंडा	2. छपरदागा	
14.	खूँटी	1. मुरहू	1. दिगड़ी	
		2. तोरपा	2. बरकुली	
15.	धनबाद	1. तोपचांची	1. चलकरी	चलकारी, नरकोपी
		2. टुण्डी	2. पोखरीया	पोखरीया, नारो, बाघमारा, झरकारी, विशुनपुर, जंकोल, मधुपुर, पत्रोबाद
16.	गिरिडीह	1. गाँवा	1. पटना	
		2. बिरनी	2. जरीडीह	
17.	साहेबगंज	1. मंडरो	1. मोतीझील	मोतीझील, बंगलिया, मंडरो, दामिन, बड़ा केन्दुआ
		2. बोरियों	2. खैरवा	खैरवा, रणचारा, डुमरिया
18.	गुमला	1.	1.	
		2.	2.	
19.	पलामू	1. चैनपुर	1. लिदकी	पुरना मंझगाँवा
		2. मेदनीनगर	2. सुआ	भुसही, लहसुनिया
20.	देवघर	1. मोहनपुर	1. चुल्हिया	चुल्हिया, सुअरदेही, घोषपुर, भगवानपुर, खपचुआं
		2. सारवाँ	2. धावाटॉड	धावाटॉड, कोल्हड़िया, जारा, दासडीह, लेड़वा, बनवरिया
21.	कोडरमा	1. सतगाँवा	1. शिवपुर	शिवपुर
		2. जयनगर	2. चेहाल	चेहाल, नवादा, चंद्रपुर, उदालो, लतबेधवा,
22.	लोहरदगा	1. भण्डरा	1. जामगाय	जामगय, झिलको
		2. कुड़ू	2. पण्डरा	पंडरा, मराडीह, जीलिंग, चेतर, मेरेल
23.	सिमडेगा	1. कोलेबिरा	1. लरवा	जामटोली, लरवा
		2. बोलबा	2. समसेरा	कंसीरा, समसेरा
24.	दुमका	1. शिकारीपाड़ा	1. मलूटी	बाकीजोर, ठकुराईनटोला, ललिताकुण्डी, मुर्गातल्ला, शंकरपुर, हाथीवारी
		2. गोपीकान्दर	2. तिरूपतिया	रोलडीह, टांयजोर, पहाड़पुर, सरजुडीह, बड़ापाथर

15/10/09

सरकार के सचिव